सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का महत्व

नरेश कुमार, पी.आर.ए.

भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजभाषा का विशेष महत्व होता है। लोकतंत्र प्रजा की सरकार, प्रजा द्वारा चयनित एवं प्रजा के हित में कार्य करने वाली सरकार होती है। राजभाषा सरकार एवं प्रजा के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। राजभाषा जितनी सरल एवं अधिक से अधिक लोगों द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा होगी; उतनी ही अच्छी तरह से जनता सरकार द्वारा कार्यान्वयित योजनाओं को समझ पायेगी एवं सरकारी योजनाओं में अधिक से अधिक भाग ले पायेगी।

राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताये गये गुणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गांधी जी के अनुसार राजभाषा सरल, अधिकांश जनता द्वारा समझे जानी वाली, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवहार को बखूबी चलाने में सक्षम होनी चाहिए। इन गुणों के आधार पर यदि हम देखें तो हिन्दी में राजभाषा बनने के पूरे गुण हैं। हिन्दी विश्व की चीनी भाषा के बाद बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। विश्व में लगभग 60 करोड़ लोग हिन्दी बोलते पढ़ते एवं समझते हैं। विश्व में मारिशस, सूरीनाम, ग्याना, भारत आदि में अधिकांश रूप से तथा नेपाल में अल्प रूप में प्रयोग में लायी जाती है। हिन्दी भाषा सरल एवं आसानी से समझी जाने वाली भाषा है। इसके शब्द भण्डार काफी समृद्ध है। हिंदी के शब्द कोश में ढाई लाख से अधिक शब्द हैं, जिनमें दस हजार अंग्रेजी शब्द भी शामिल हैं। हिन्दी में नये-नये शब्दों के सृजन की भी क्षमता है।

हिन्दी के इन्हीं गुणों को ध्यान में रखते हुए 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को राजभाषा का सम्मान प्रदान हुआ। यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कार्यों में उसी प्रकार होता रहेगा, जैसा हो रहा है। परन्तु 26 जनवरी 1965 के पश्चात समस्त कार्य केवल हिन्दी में होगा। हिन्दी के राजभाषा के रूप में संविधान की धारा 343(1) के द्वारा घोषित किया गया था। राजभाषा से सम्बन्धित प्रावधान संविधान की धारा 343 से धारा 352 में वर्णित है।

हिन्दी हिन्द-यूरोपीय परिवार की भाषा है तथा हिन्द आर्य परिवार के अन्तर्गत आती है। इस परिवार की भाषाएं संस्कृत भाषा से जन्मीं हैं। इसी कारण इनका शब्दकोष समृद्ध है। इस परिवार की भाषाओं के नियम स्पष्ट हैं तथा व्याकरण के रूप में अत्यधिक सरल हैं।

यद्यपि हिन्दी को राजभाषा घोषित करते समय यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1965 के पश्चात समस्त राजकीय कार्य केवल हिन्दी में किये जायेंगे। परन्तु दक्षिण में हिन्दी भाषा के विरोध के कारण वर्ष 1963 में संविधान की धारा 363(3) के द्वारा, अंग्रेजी को सह-राजभाषा घोषित कर दिया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि जब तक समस्त राज्य नहीं चाहेंगे तब तक सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।

संविधान के प्रावधान के कारण राजभाषा हिन्दी अपना वह स्थान पाने से वंचित रह गयी, जिसकी वह हकदार है। आज भी अधिकतर सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही किये जाते हैं। हिन्दी प्रयोग के आधार पर भारत को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। 'क' क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान जैसे वे राज्य आते हैं जो हिन्दी भाषी हैं तथा जिनमें समस्त सरकारी कार्य हिन्दी में होना चाहिए, परन्तु वास्तव में इन राज्यों में भी

पुस्तकालय
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की

हिन्दी प्रयोग की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 'ख' क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्य आते हैं, जहां पर कार्य हिन्दी में किये जाने चाहिए तथा उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए, परन्तु इन क्षेत्रों में भी हिन्दी के प्रयोग की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 'ग' क्षेत्र में अहिन्दीभाषी क्षेत्र जैसे कि केरल, तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश आदि राज्य आते हैं। इन राज्यों में हिन्दी में कार्य करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

संविधान की धारा 351 में यह लिखा गया है कि संघ हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए ऐसे समस्त कार्य करेगा, जिनके द्वारा उसे समृद्ध किया जा सके ताकि वह राजभाषा के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनेकों ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं, जिनके द्वारा हिन्दी की उन्नति हो सके। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु राजभाषा आयोग की स्थापना की गयी। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से सम्बद्ध कर्मचारियों की भर्ती की गयी। सरकारी कर्मचारियों के हिन्दी में प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाये गये। वैज्ञानिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान में लिखित मौलिक हिन्दी पुस्तकों पर ईनाम की योजना प्रारम्भ की गई।

इसमें कोई संदेह नहीं है सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का बहुत अधिक महत्व है। इसे भारत की अधिकांश जनता लिख एवं पढ़ सकती है तथा लगभग समस्त जनता समझ सकती है। इसके माध्यम से किये गये कार्य जनता के समझ में अच्छी प्रकार से आते हैं। कम पढ़े-लिखे व्यक्ति भी हिन्दी में पारित आदेश आदि को भली प्रकार से समझ जाते हैं। आज विश्व के बहुत सारे छोटे से छोटे देश भी अपनी राजभाषा में कार्य कर रहे हैं। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां आज भी अधिकतर सरकारी कार्य अंग्रेजी में ही किये जा रहे हैं।

पिछले वर्षों में राजभाषा हिन्दी के सरकारी कामकाज में वृद्धि हुई है। उत्तराखण्ड़, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान आदि में अधिकांश सरकारी कार्य हिन्दी में हो रहा है। केन्द्र सरकार में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। परन्तु आज भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। हिन्दी के सरकारी कामकाज में कम प्रयोग होने के पीछे दो कारण मुख्य हैं। एक कारण है उच्च वर्ग का आज भी अंग्रेजी से लगाव तथा हिन्दी को हीन भावना से देखना। दूसरा कारण है संचार माध्यमों एवं कम्प्यूटर क्रांति के समय हिन्दी का दौड़ में पिछड़ना। इसी कारण से चाहते हुए भी कुछ व्यक्ति हिन्दी का प्रयोग नहीं कर पाये।

आज स्थिति बदलने लगी है। यूनीकोड़ के आगमन से कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी का प्रयोग काफी सरल हो गया है। आज हम व्यक्ति आसानी से हिन्दी में कार्य कर पा रहा है। इन्टरनेट पर हिन्दी का अथाह भण्डार भरा हुआ है। मंत्र जैसे साफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनके द्वारा अनुवाद का कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। आज आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपनी राजभाषा के प्रति अधिक आदर के साथ व्यवहार करे। इस समृद्ध शब्द सम्पदा का लाभ उठायें तथा अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करें।

अन्त में केवल इतना कहना चाहूंगा कि हिन्दी के राजभाषा के रूप में स्वीकार किये 60 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। परन्तु अभी भी इसे अपने गौरवपूर्ण स्थान पर पहुंचना बाकी है। इसका सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग होना बाकी है। आशा है कि भविष्य राजभाषा हिन्दी का है तथा आने वाले समय में यह सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक प्रयोग की जायेगी।

*****